

न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी - दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या -21/2017

वादी :-

वीराराम वल्द स्व. लछाजी जाति पुरोहित साकिन खाण्डादेवल
तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बलवंताराम वल्द लछाजी जाति पुरोहित सा. खाण्डादेवल
2. भूराराम वल्द तगाजी जाति पुरोहित सा. खाण्डादेवल
3. तिलका वल्द सोनाजी जाति पुरोहित सा. खाण्डादेवल
4. पाताराम वल्द धुकाजी जाति पुरोहित सा. खाण्डादेवल
5. बगदाराम वल्द धुकाजी जाति पुरोहित सा. खाण्डादेवल
6. जवारा वल्द तगाजी जाति पुरोहित सा. खाण्डादेवल
7. भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
8. हल्का पटवारी गजीपुरा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर राज.

दावा बाबत विभाजन खातेदारी भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा

53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 5-4-2018

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2017 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा खाण्डादेवल तहसील जसवंतपुरा में स्थित वादग्रस्त जायदाद नवीन खसरा नम्बर 194 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.34 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.11 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर विभाजन के प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार जसवंतपुरा से चाहे जाने पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :-

वीराराम पुत्र लच्छा कौम पुरोहित सा. देह खातेदार				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
194	0.0400	गै.मु. बेरा	-	लाल
195 मे से	0.1943	चाही उत्तम	9.33	
2	0.2343		9.33	
पाताराम वल्द धुकाजी 5/71, बगदाराम वल्द धुकाजी 10/71 जवारा वल्द तगाजी 15/71 तिलका वल्द सोना 20/71 भूराराम वल्द तगाजी 20/71 बलवंताराम वल्द लछा 1/71 कौम पुरोहित साकिन खाण्डादेवल खातेदार				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
195 मे से	0.5357	जाव ए उत्तम 0.0700	1.12	हरा
		चाही उत्तम 0.4657	22.35	
196	0.3400	चाही उत्तम 0.3100	14.88	
		जाव ए उत्तम 0.0300	0.48	
2	0.8757		38.83	

21/2
सहायक कलेक्टर
जिला जालोर

उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई उजर आपति लिखित में या मौखिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में उक्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। फलस्वरूप विभाजन की अंतिम डिक्री तहसीलदार जसवंतपुरा के विभाजन प्रस्ताव अनुसार एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी प्रकार की उजर आपति प्राप्त नहीं होने से विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-

वीराराम पुत्र लच्छा कौम पुरोहित सा. देह खातेदार				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
194	0.0400	गै.मु. बेरा	-	लाल
195 मे से	0.1943	चाही उत्तम	9.33	
2	0.2343		9.33	
पाताराम वल्द धुकाजी 5/71, बगदाराम वल्द धुकाजी 10/71 जवारा वल्द तगाजी 15/71 तिलका वल्द सोना 20/71 भुराराम वल्द तगाजी 20/71 बंलवताराम वल्द लछा 1/71 कौम पुरोहित साकिन खाण्डादेवल खातेदार				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
195 मे से	0.5357	जाव ए उत्तम 0.0700	1.12	हरा
		चाही उत्तम 0.4657	22.35	
196	0.3400	चाही उत्तम 0.3100	14.88	
		जाव ए उत्तम 0.0300	0.48	
2	0.8757		38.83	

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान के बंट में आई आराजी के हिस्से व कब्जे कास्त में एक दुसरे में दखल अंदाजी नहीं करे एवं नहीं किसी से करावे। तहसीलदार जसवंतपुरा को माफिक निर्णय तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/4/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलेक्टर
जिला-जालोर (राज.)
जसवंतपुरा